भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2976

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

भविष्य निधि अनुपालन का युक्तिकरण

2976. श्री जग्गेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ढांचे के अंतर्गत क्षतिपूर्ति एवं शास्तियों से संबंधित लंबित विवादों के स्वैच्छिक निपटान की सुविधा के लिए कोई विशेष उपाय शुरू किया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उपाय के अंतर्गत निपटाए जा सकने वाले विवादों की पात्रता मानदंड, आवेदन अवधि और श्रेणियां निर्धारित की हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुकदमेबाजी को कम करने तथा नियोक्ताओं पर अनुपालन संबंधी भार को कम करने पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) क्या सरकार व्यवसाय की सुगमता में सुधार एवं श्रम कानूनों के अंतर्गत लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से भविष्य में ऐसे ही विवाद समाधान संबंधी पहलों के परिणामों की समीक्षा करने और इसी प्रकार की पहलों पर विचार करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14ख और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के अधीन उद्गृहीत क्षतिपूर्ति से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान की सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 के भाग के रूप में दिनांक 29.06.2026 से विश्वास, 2026 को अधिसूचित किया है।

(ख) से (ङ): विश्वास, 2026 अपनी अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रचालन में है। यह निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अधीन आने वाले पात्र स्थापनों को कवर करती है:

जारी.. 2/-

(i) ऐसे मामले, जहां शास्तियां लगाई गई हैं और उन्हें चुनौती दी गई है तथा वे न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित हैं;

(ii) ऐसे मामले, जहां क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की गईं हैं परंतु वे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अप्रदत्त हैं;

(iii) ऐसे मामले, जहां क्षतिपूर्ति उद्गृहीत करने की कार्यवाहियां लंबित या प्रक्रियाधीन हैं; और

(iv) ऐसे मामले, जहां पात्र चूकों के संबंध में कार्यवाहियां अभी शुरू की जानी हैं।

विश्वास, 2026 उसमें निर्धारित पात्रता शर्तों के अध्यधीन है, जिसके अंतर्गत चूक की अवधि के अनुरूप लागू सांविधिक ब्याज का भुगतान और योजना के अधीन विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करना शामिल है।

विश्वास, 2026, विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान की सुविधा प्रदान करने, मुकदमेबाजी को कम करने, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सरकार विश्वास 2026 जैसी पहलों के माध्यम से अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने तथा श्रम कानूनों के तहत मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को कम करके कार्य सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
